

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर**

(पीठासीन अधिकारी संजु मीणा )

आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 02/2020

1. गोपी पुत्र घीसा जाति रेगर निवासी ग्राम उदयगढखेडा ग्राम पंचायत धांतोल तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

**निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित पक्षकार:- श्री महावीर गुर्जर (अधिवक्ता प्रार्थी)

पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 10.09.2020

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि मौजा उदयगढखेडा पटवार क्षेत्र हीरापुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धांतोल तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित आराजी खाता सं. नया 97 व पुराना 89 में दर्ज खसरा नं. 1942 रकबा 0.42 हैं0 किस्म बारानी-1 भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का नाम गोपी पुत्र घीसा जाति रेगर के स्थान पर मोती पुत्र घीसा जाति रेगर अंकित है। अतः राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का सही नाम दर्ज कराकर अभिलेख सही करवाया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली दर्ज कर तहसीलदार भिनाय को तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने अपना जवाब प्रार्थना पत्र मय मौका पर्चा प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा वांछित दुरुस्ती उचित होना स्वीकार किया। प्रकरण के सन्दर्भ में प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात यथा जवाब पैरोकार सरकार, भूअभिलेख निरीक्षक व पटवार हल्का उदयगढखेडा द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा, सरपंच ग्राम पंचायत धांतोल द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आदि का गहनता से अध्ययन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भिनाय को यह आदेश दिए जाते हैं कि मौजा धांतोल की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता सं. नया 97 व पुराना 89 में सहखातेदारी में दर्ज खातेदार मोती पुत्र घीसा कौम रेगर के स्थान पर गोपी पुत्र घीसा कौम रेगर दुरुस्त किए जाने आदेश पारित किए जाते हैं एवं तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते हैं कि राजस्व अभिलेख में नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 10.09.2020 को सुनाया गया।



(संजु मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय (अजमेर)